न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभानसिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 22/2021
GCMS No. : 2021/80

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. हरीसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह परमार विक्रेता वाहन संख्या आर.जे.22 जी.बी.1165 निम्बेश्वर महादेव मंदिर के पास फालना निवासी नीलम एण्टरप्राईजेज सादड़ी रोड़ मुण्डारा तहसील बाली (पाली) 2. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह परमार (मालिक) मैसर्स नीलम एण्टरप्राईजेज अम्बिका नगर मुण्डारा तहसील बाली (पाली) 3. दिनेश कुमार मैसर्स लता ट्रेडिंग कम्पनी झाडोली तहसील पिण्डवाड़ा (सिरोही) 4. Nilesh Shantilal Chordiya (Partner) M/s Shriram Gruh Udhyog SR 37/1, H.No.1/4/3-1, Pisoli Havali Near Dagade Farms Pune (Maharashtra) 5. Shantabai Shantilal Chordiya (Partner) M/s Shriram Gruh Udhyog SR 37/1, H.No.1/4/3-1, Pisoli Havali Near Dagade Farms Pune (Maharashtra)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी उपस्थित
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक:– 20-1-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को बार–बार आवाजे लगाई गई परन्तु वे न्यायालय में उपस्थित नही हुए। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में पदस्थापित है। दिनांक 8.7.2020 को दौराने गश्त निम्बेश्वर महादेव मंदिर के पास फालना पर पहुंचा तो वाहन संख्या आर.जे.22 जी.बी. 1165 को पाया। अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। विक्रेता से नाम पता पूछने पर अपना नाम हरीसिंह पुत्र मोहनसिंह (विक्रेता) होना बताया तथा नीलम एण्टरप्राईजेज सादड़ी रोड़ मुण्डारा तहसील बाली का (विक्रेता) होना बताया। प्रार्थी ने विक्रेता की उपस्थिति में वाहन का निरीक्षण करने पर पाया कि चटनी ब्राण्ड झटका के लगभग 80 मूल पैक पैकेट रखे हुए है। प्रत्येक पैकेट में 100 ग्राम चटनी ब्राण्ड झटका (लाल मिर्च लहसुण चटनी) है जिसको आमजन को बिक्री वास्ते होना बताया, जिसमें मिलावट का शक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

होने पर रुबरू विक्रेता के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया व प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की गई। प्रपत्र 5ए देने से पहले विकेता को बता दिया था कि चटनी ब्राण्ड झटका का नमूना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 की उपस्थिति में 16 पैकेट चटनी ब्राण्ड झटका वास्ते जांच हेतु क्रय कर उनकी कीमत रूपये 300/– विक्रेता को देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता व मेरे हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने विक्रेता की उपस्थिति में क्रय की गई चटनी ब्राण्ड झटका को चार भाग करके चारो पैकेट पर विक्रेता की उपस्थिति में डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली द्वारा जारी कोड एवं सिरियल नम्बर आर–1068 लिखा एवं उस पर नमुना का विवरण अकित किया जिस पर मेरे स्वयं के हस्ताक्षर है। प्रत्येक नमुना पैकेट को नियमानुसार सीलबंद व सीलमुहर किया एवं अपने जाब्ते में ली। प्रार्थी ने विकेता के सामने मौके पर ही फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की एवं विकेता को पढ़कर सुनाया तथा हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे उन्होने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुंच कर नियमानुसार फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार कर अप्रार्थी संख्या 1 से लिया गया चटनी ब्राण्ड झटका का नमुना आर–1068 खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में दिनांक 9.7.2020 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से लिया गया चटनी ब्राण्ड झटका का नमूना अमानक Sub-Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-Standard चटनी ब्राण्ड झटका का विनिर्माण एवं विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने पूर्व में जवाब प्रस्तुत कर बताया कि प्रकरण में झटका चटनी का पैकिंग माल मैसर्स लता ट्रेडिंग कम्पनी झाड़ोली तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही से खरीदा था जिसका बिल नम्बर 60 तारीख 5.7.2020 है। इसका झटका चटनी का उत्पादक श्रीराम गृह उद्योग SR 37/1, H.No.1/4/3-1, Pisoli Havali Near Dagade Farms Pune (Maharashtra) है, जो माल उस गृह उद्योग द्वारा बनाया व पैकिंग किया हुआ था जो माल कम्पनी वालो ने बेचा था उसी स्थिति मे माल मेरे पास था। उक्त माल मेरे द्वारा निर्मित नही है उक्त माल श्रीराम गृह उद्योग द्वारा निर्मित है तथा अमानक पाये जाने पर मेरी कोई जवाबदारी नही बनती है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को दोषमुक्त कर कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 3 ने पूर्व में जवाब प्रस्तुत कर बताया कि मेरी ग्राम झाड़ोली तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में लता ट्रेडिंग कम्पनी नाम की फर्म है। प्रकरण में झटका चटनी का पैकिंग माल मैने श्रीराम गृह उद्योग SR 37/1, H.No.1/4/3-1, Pisoli Havali Near Dagade Farms Pune (Maharashtra)से खरीदा था जिसका बिल नम्बर SGUO1 120/20-21 तारीख 2.7.2022 को बनाया व पैकिंग किया हुआ था जो उसी स्थिति में कम्पनी वालो ने बेचा था। उसी स्थिति में माल मेरे पास था। उक्त माल मेरे द्वारा निर्मित नही है उक्त माल श्रीराम गृह उद्योग द्वारा निर्मित है तथा अमानक पाये जाने पर मेरी कोई जवाबदारी नही बनती है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 को दोषमुक्त कर कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनाक 8.7.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता से चटनी ब्राण्ड झटका को वास्ते नमूना जांच क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1068 अंकित कर नमूने को सीलबंद किया गया तथा एक्ट में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./303/एक्ट/2020/303 दिनांक 24.7.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1068 को Sub-Standard माना है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने चटनी ब्राण्ड झटका अप्रार्थी संख्या 3 की फर्म लता ट्रेडिंग कम्पनी रानी से जरिये बिल क्रमांक 60 दिनांक 5.7.2020 से खरीद किया था एवं अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त खाद्य पदार्थ चटनी ब्राण्ड झटका अप्रार्थी संख्या 4 व 5 से जरिये बिल दिनांक 2.7.2020 के द्वारा खरीद किया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 विक्रेता से चटनी ब्राण्ड झटका का नमुना लेते समय की गई कार्यवाही नियमानुसार की गई है, साथ ही पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजो एंव खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के के अनुसार चटनी ब्राण्ड झटका का नमूना Sub-Standard of Food safety and Standards Regulations 2011 की श्रेणी में आता है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा Sub-Standard चटनी ब्राण्ड झटका का निर्माण एवं विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 व 02 प्रत्येक पर रूपये 10000/– व अप्रार्थी संख्या 03 पर रूपये 25000/– तथा अप्रार्थी संख्या 04 व 05 प्रत्येक पर रूपये 100,000/– अक्षरे दो लाख रूपये अर्थात कुल रूपये 2,45,000/– अक्षरे दो लाख पैंतालिस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210--चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20-1-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली